को प्रस्तुत।

04-04-2018

अधीक्षक आयुक्त कार्यालय

(79)

माननीय न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल, ग्वालियर

बैंच इंदौर संभाग इंदौर

PBR/निगरानी/धार/भू.रा/2018/2523

निगरानी प्रकरण क्रमांकः

रामगोपाल त्रिवेदी पिता स्व मगनलाल त्रिवेदी
आयु– 50 वर्ष, जाति – ब्राहम्ण
निवासी – ग्राम मुंडला, तहसील व जिला धार —प्रार्थी/निगरानीकर्ता

विरूद्ध

कैलाश पिता स्व. मगनलाल त्रिवेदी
जाति ब्राहम्ण
निवासी – ग्राम मुंडला, तहसील व जिला धार —विपक्षी

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959

प्रार्थी/निगरानीकर्ता की ओर से विनम्र निवेदन है कि :–

प्रकरण के तथ्यः– प्रार्थी के आपसी पारिवारिक बंटवारे में आयी कृषि भूमि जो कि सर्वे क्रमांक 46 रकबा 0.290 हेक्टेयर है, जो कि ग्राम मुंडला तहसील व जिला धार में स्थित है। उक्त भूमि पर करीब 17–18 वर्ष पूर्व प्रार्थी एवं विपक्षी आपसी पारिवाकर हिस्सा बंटवार हुआ था तब से ही प्रार्थी अपने उक्त हिस्से के बंटवारे की भूमि पर मालिक नाते काबिज होकर कृषि कार्य करता चला आ रहा है और अभी वर्तमान में भी कर रहा है तथा प्रार्थी का ही अपनी उक्त सर्वे नंबर 46 की भूमि पर वर्तमान में कब्जा है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी के हिस्से बंटवारे में उसकी आधिपत्य की भूमि जो कि सर्वे नंबर 46 रकबा 0.290 हेक्टेयर जो कि ग्राम मुंडला तहसील व जिला धार में स्थित है, को बाले–बाले व प्रार्थी को सूचना दिये बगैर राजस्व प्रकरण क्रमांक 55/अ–12/2016–17 पर दर्ज होकर दिनांक 22/06/2017 को सीमांकन बाबद् आदेश प्रदान किया गया जिससे दुखी व असंतुष्ट होकर यह निगरानी निम्नानुसार सादर प्रस्तुत है :–

निगरानी के आधारः–

1. यह कि, अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि–विधान के विपरीत होकर निरस्ती योग्य है।

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/धार/भू.रा/2018/2523

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
20-2-2019	आवेदकपक्ष की ओर से सूचना उपरांत कोई उपस्थित नहीं । आवेदकपक्ष व उसके अधिवक्ता को तीन बार पुकार लगवाई गई, परन्तु आवेदक पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ । अत: प्रकरण आवेदक पक्ष के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	